Annexure-2

FORM-I

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- 04/8.LAC(2020-21)

Dated----05/02/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes; it is certified that **0.450** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D. P.W.D. Lansdowne Garhwal for **Khadoliya khet to koula-Pultanda Motor road 4.00 km. in Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne** falls within jurisdiction of **Koula malla,talla and Pultanda** village(s) in **Dhumakot** Tehsil

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.450** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

69

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Koula malla,talla and Pultanda** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl.. As above

(Dhiraj Singh Garbiyal)
District Collector, Garhwal.

जिलाधिकारी गढ़वाल

Annexure-1

प्रारुप–30

FORM-II

(for liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No... 05 /8. LAC (2020-21) **Dated** ..05/2/2021

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.450 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public work Department** for **Khadoliya khet to koula-Pultanda Motor road 4.00 km. in Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne** falls within jurisdiction of **Koula malla,talla and Pultanda** village(s) in **Dhumakot** Tehsil.

It is further certified that:

(g) the compete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.450 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to......... annexure ------

(h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(i) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Dhiraj Singh Garbiyal)
District Collector, Garhwal.

जिलाधिकारी गढ़वाल

D:\DATA -29-8-19\SK-World\AMIN\Anil\Wadda to Malara Bada.doc (Page-99)

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **GARHWAL** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dhiraj Singh Garbyal** I.A.S deputy commissioner, **Garhwal** on dated 5/2/2021 at time 1.30 PM at **Pauri** in which application claiming rights in **Civil Forest /Van panchayat** area measuring **0.450** hect for the construction of **Khadoliya khet to koula-Pultanda Motor road 4.00 km. in Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne Uttarakhand** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Dhumakot** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pauri..(Garhawal)

Dated: 05-02-2021

(Dhiraj Singh Garbyal)
जिलाधिकारी
पौड़ी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

It is further certified that – Minutes Of Meeting of **Construction of Khandoliya khet to Koula-pultanda Motor Road In Nainidanda Block of Lansdwone Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand** (Length 4.00 Km.) regarding FRA is as following :

S.No.		Remark
(a)	The Complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire **0.450** hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as **annexure 30.2**	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages **Koula Malla,Koula Talla** regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

अनिता मधवाल
बिलकोट वार्ड
जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल।

समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी।
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी
गढ़वाल।
जिलाधिकारी गढ़वाल

दिनांक 05-02-2021 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :–

1.	सर्व श्री धीराज सिंह गर्ब्याल	जिलाधिकारी,पौड़ी गढ़वाल	अध्यक्ष
2.	श्री के० एस० रावत	प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी	सदस्य।
3.	श्रीमती सुनीता अरोड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	सदस्य।
4.	श्रीमती अनिता मधवाल	जिला पंचायत सदस्य बिलकोट वार्ड नैनीडांडा	सदस्य।

जिलाधिकारी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल

अनिता मधवाल

बताया गया कि (1) जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव–निर्माण कार्य हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्गो हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है।

मार्ग का विवरण निम्नवत है :–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव–निर्माण :– इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत लक्ष्मणझूला–दुगडडा–हल्दूखाल–धुमाकोट (एस0एच0–9) मोटर मार्ग के किमी0 2014 से आरम्भ होकर ग्राम कौला मल्ला,कौला तल्ला व पुलटण्डा की सीमा पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 है। इस मार्ग का प्रारम्भिक भाग में 400.00 मीटर लम्बाई में ग्राम कौला तल्ला की वनपंचायत भूमि है, तत्पश्चात् नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) एवं 100.00 मी0 लम्बाई में सिविल वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम मलारा बड़ा की जनसंख्या 200 सहित अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नही है और ना हीं प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग पर वन भूमि 0.450 हे0 लो0नि0नि0 को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुऐ बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह गर्ब्याल) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन

पत्रांक 21सी0 दिनांक

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धुमाकोट
संख्या :- 519/जि.ए.-विविध/2020-21 दिनांक धुमाकोट दिसम्बर 22/2020
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धुमाकोट

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि शून्य हे0,सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.090 हे0,वन पंचायत भूमि 0.360 हे0 अर्थात कुल 0.450हे0आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 22/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जितेन्द्र वर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जितेन्द्र वर्मा उपजिलाधिकारी धुमाकोट अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल व0 प्रभाग सदस्य
3. श्री राजीव ध्यानी सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनीडांडा सदस्य/सचिव
4. श्री मती सुरमादेवी बी0डी0सी0 क्षेत्र नौणिया खेत सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग पौ[illegible]

Scanned with CamScanner

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धुमाकोट
संख्या :- 519/जि.ए.-विविध/2020-21 दिनांक धुमाकोट दिसम्बर 22/2020
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धुमाकोट

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि शून्य हे0,सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.090 हे0,वन पंचायत भूमि 0.360 हे0 अर्थात कुल 0.450हे0आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 22/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जितेन्द्र वर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जितेन्द्र वर्मा उपजिलाधिकारी धुमाकोट अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग सदस्य (उप प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल उप वन प्रभाग पौड़ी)
3. श्री राजीव [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनीडांडा सदस्य/सचिव
4. श्री मती सुरमादेवी बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगॉव खेत सदस्य

Scanned with CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **धुमाकोट** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **धुमाकोट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु **0.450हे0वन** भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धुमाकोट
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

(उपजिलाधिकारी धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल)

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धुमाकोट
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

(उपजिलाधिकारी धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल)

सुरमा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
24 – नौनिया खेत
वि0 ख0– नैनीड़ांडा
जिला– पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

(रतिभान)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी... बिसल 2-3 ...
तहसील... धुमाकोट ...
जिला– गढ़वाल (उ0 ख0)

तहसीलदार
धुमाकोट

Scanned with CamScanner

54

<u>प्रारुप–30.3</u>

<u>कार्य का नाम :–</u> **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कौला मल्ला
तहसील– धूमाकोट, जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 0.090 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.360 हे0) अर्थात कुल 0.450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौलामल्ला द्वारा दिनांक 12.07.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

तहसीलदार
धुमाकोट

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

[redacted]

Rati Bhan
(रतिभान)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी.......
तहसील.....धुमाकोट
जिला– गढ़वाल (उ0 ख0)

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.4

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
सुभाष		[signature]
अर्जुन		[signature]
मुकेश		mukesh
[illegible]		[signature]
सुनील		[signature]
किशन		Kishan
अनिल सोनी		Anil
लखन सोनी		Lakhan
Praveen Sen		Sen
ओमप्रकाश रावत		[signature]
सुमन देवी		Suman Devi
बिमलादेवी		बिमलादेवी
रेनू देवी		Renu Raut
सुमन देवी		सुमन देवी
[illegible]		B Rawat

[signature]
तहसीलदार
धुमाकोट

[signature]
(हरिभजन)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी....सिलाला-3....
तहसील....धुमाकोट....
जिला- गढ़वाल (उ0 ख0)

ग्राम प्रधान
सुषमा देवी

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.3

कार्य का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – कौला तल्ला
तहसील– धूमाकोट, जिला– पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 0.090 हे0 सिविल सोयम भूमि.... .. हे0, वन पंचायत भूमि 0.360 हे0) अर्थात कुल 0.450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौला तल्ला द्वारा दिनांक 13/7/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

(रतिश ...)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी ...
तहसील धुमाकोट
जिला– गढ़वाल (उ0 ख0)

तहसीलदार
धुमाकोट

प्रधान ग्राम सभा
पौड़ी गढ़वाल 13/7/20

Scanned with CamScanner

57

प्रारुप–30.4

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	श्रीमती मन्धा देवी	अ0नि0 मन्धा देवी
2–	विनोद	[illegible]
3–	हरेन्द्र सिंह	[illegible]
4–	धनपाल सिंह	D
5–	गबर सिंह	गबर सिंह
6–	शिशुपाल सिंह	[illegible]
7–	अशोक	अशोक
8–	रामसिंह	रामसिंह
9–	विमला देवी	अ0नि0 विमला देवी
10–	सुनील	Sunil
11–	हुशियारसिंह	[illegible]
12–	रघुनाथसिंह	R Rawat
13–	योगेन्द्रसिंह	योगेन्द्र सिंह
14–	संदीप	[illegible]
15–	सुरेन्द्रसिंह	[illegible]
16–	सवित्री देवी	अ0नि0 सवित्री देवी
17–	विद्या देवी	विद्या
18–	ललिता देवी	ललिता देवी
19–	गंगोत्री देवी	गंगोत्री देवी
20–	धीरेन्द्रसिंह	[illegible]
21–	भगतसिंह	[illegible]
22.	छत्पतसिंह	Anangsingh
23–	विक्रमसिंह	V Rawat
24–		
25–		
26–		
27		

Rakesh Khan

(राजस्व उपनिरीक्षक)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी... बिजलोट 3.....
तहसील..... धुमाकोट.....
जिला– गढ़वाल (उ0 अ0)

तहसीलदार
धुमाकोट

ह0/–
प्रधान ग्राम सभा
कौला तल्ला
तहसील धुमाकोट
पौड़ी गढ़वाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
कौला तल्ला

Scanned with CamScanner

प्रारूप - 30.3

कार्य का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला-पुलखण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पुलखण्डा

तहसील - धुमाकोट, जिला - पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला-पुलखण्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि 0.090 है० सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि 0.360 है०) अर्थात कुल 0.450 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुलखण्डा द्वारा दिनांक 12/7/2020 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर-आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है। अथवा नही * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौला के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० लैंसडौन प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

12/7/2020

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - पुलखण्डा
ब्लॉक - नैनीडांडा
जिला - पौड़ी गढ़वाल

ह० - ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पुलखण्डा ... नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)

दर्शनी देवी

ह० -
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
12.07.2020

प्रारूप 30.4

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत पंडो खेत से कौला - पुलण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

59

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1) रामनिवास सिंह		Rawat
(2) मान सिंह रावत		मानसिंह
(3) धन सिंह "		[illegible]
(4) कल्याण सिंह "		KSRawat
(5) बच्चे सिंह (बडा)		बच्चेसिंह
(6) आनन्द सिंह		[illegible]
(7) रूप सिंह		मानसिंह
(8) जगत सिंह		गब्बर सिंह
(9) वीर सिंह		वीरसिंह
(10) गब्बर सिंह		
(11) राम सिंह		
(12) सुरेन्द्र सिंह		सुरेन्द्रसिंह
(13) विनोद सिंह		विनोदसिंह
(14) रवेत सिंह		रवेतसिंह
(15) राजेन्द्र लाल		वीरेन्द्रसिंह
(16) वीरेन्द्र सिंह		
(17) जया देवी		राजेन्द्रलाल
(18) सीता देवी		
(19) कान्ती देवी		कान्ति देवी
(20) दमयन्ती देवी		
(21) दर्शनी देवी		दर्शनी देवी
(22) यशोदा देवी		यशोदा देवी
(23) बीना देवी	सुरमादेवी	
(24) दीपा देवी		
(25) सिन्दोरी देवी		सिन्दोरी देवी
(26) गोदाम्बरी देवी		

(27) मन्नादेवी — मन्नादेवी

(28) सीमा देवी

(29) प्रियंका देवी

सुरमा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
24 – नौनिया खेत
वि० ख०– नैनीडांडा
जिला– पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

मोहन सिंह

ह०
ग्राम प्रधान / सरपंच

ग्राम पंचायत [illegible] प्रधान ... वि०ख० नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल) — रेखादेवी

[illegible] फॉरेस्ट पंचायत — दर्शनी देवी — 12.07.2020